शारदा जैसे घोटालों पर काबू पाने के लिए पश्चिम बंगाल ने नया विधेयक पारित किया

पश्चिम बंगाल में कार्य कर रही चिंट फंड कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थाओं में पश्चिम बंगाल जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2013 पारित किया। राज्य सरकार ने वाममोर्चा सरकार के 2009 में लाए गए पुराने विधेयक को भी वापस ले लिया।

नए विधेयक में चिट फंड घोटालों पर काबू पाने क लिए 'सक्षम प्राधिकारी' को पुन:परिभाषित किया गया है। नए विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक अपराध निदेशक द्वारा इस मामले की जांच करेगा या इस संबंध में प्राधिकारी को सहयोग करने के लिए अधिसूचना जारी कर एक एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है। पहले के विधेयक में शहर में स्थित वित्तीय संस्थाओं के शामिल होने संबंधी मामलों के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य जगहों पर होने वाले मामलों के लिए संबंधित जिलाधिकारी 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में कार्यरत थे।

हालांकि नए विधेयक में विवादित 'पूर्वव्यापी खंड' नहीं है जिसके ज़रिए मौजूदा और पुराने घोटाले इसके दायरे में आ सकते थे। यह केवल भविष्य में होने वाले अपराधों और घोटालों पर ही लागू होगा। अत: शारदा घोटाला इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नए विधेयक में एक ऐसा खंड है जो अन्य कानूनों को रद्द कर सकता है। नए विधेयक में संपत्ति की तलाशी, उसे कुर्क तथा ज़ब्त करने तथा उसके प्रबंधन का अधिकार है।

चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर काफी दबाव था। मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने सदन को यह भी बताया कि दो चिट फंड कंपनियों जिसकी 5 या 6 सहायक कंपनियां है, उसे 24 घंटे के भीतर अपना कामकाज बंद करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र की भेजी हुई 73 'दागी' कंपनियों की सूची का अध्ययन किया। उन्होंने दावा किया कि 2009-10 में ऐसी कम से कम 13 वित्तीय कंपनियां राज्य में कामकाज कर रही थीं। नए विधेयक को ठीक समय पर उठाए गए कदम के रूप में बताते हुए सुश्री बनर्जी ने दावा किया कि इस दिन को न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश और दुनिया में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया उनकी सरकार ने तभी इस संबंध में कार्रवई की।

विधेयक का समर्थन करते हुए सीपीआई-एम और कांग्रेस ने कहा कि विधेयक में कुछ कमियां है जिससे आरोपी सज़ा से बच सकता हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. सुरज्यकांत मिश्रा ने कहा 'एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमने विधेयक का समर्थन किया लेकिन इसका एक

प्रावधान संविधान के समानूरूप नहीं है इसलिए यह आरोपी को बचाव का रास्ता दे सकता है।' वाममोर्चा के अनुसार नया विधेयक कंपनियों को संदिग्ध मांगे रखने से नहीं रोक सकता।

-2-

विपक्ष के नेता सुरज्यकांत मिश्रा ने कहा कि वाममोर्चा दो अनुच्छेदों को बदलना चाहती थी लेकिन विधानसभा में मतदान प्रकिया में हार गई। उन्होंने कहा 'नया विधेयक इतना सख्त नहीं है। सभी तरह के गलत काम करने वाली कंपनियां अब भी इसके तहत बच सकती हैं।'

इस बीच, श्री श्यामल सेन की अध्यक्षता में हाल ही में गठित आयोग शारदा कंपनी के जमाकर्ताओं और एजेंटों से आंकड़े एकत्र कर रहा है। मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने जमाकर्ताओं से भी आग्रह किया है कि वे आयोग को अपने मुद्दों के बारे में बताए ताकि सरकार को पैसा वापस करने में आसानी हो।

(स्रोत एजेंसियां)